न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 66 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00260
पूर्व प्रकरण संख्या : 166 / 2014

1. श्री भैरूलाल पिता श्री कुरीलाल जी शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–वल्लभ, तह. गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री भैरूलाल शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–वल्लभ, तह. गिर्वा जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. नारायण पिता श्री धन्नाजी मीणा,
2. काना पिता श्री धन्नाजी मीणा,
3. श्रीमती जमनाबाई पत्नी नारायण मीणा,

सर्व निवासीयान–खेडी (ग्राम पंचायत वली) तह. गिर्वा जिला उदयपुर.

......प्रतिवादीगगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री मोहनलाल शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 28.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 183 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि ग्राम वल्लभ, पटवार हल्का वल्लभ, तह, कुराबड़ जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2008 / 156 रकबा 1.2600 हैक्टेयर वादीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। वादी संख्या 1 (आर.एससी.) राजस्थान आम्ड कोर में कार्यरत होकर सैनिक उदयपुर जिले से बाहर होने से वह कभी कभार अपने गाँव आता रहता था। वादी ने सैनिक कोटे से मौजा वल्लभ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का वल्लभ की आराजी संख्या 156 में से 1.2600 हैक्टेयर कृषि भूमि दिनांक 10–06–2002 को वादी एवं उसकी पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से आवंटन की गई तथा आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 219 से वादीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई जिसके नये खसरा नम्बर 2008/156 बने तथा मौके पर कब्जा भी वादीगण को पटवारी हल्का ने सिपुर्द कर दिया गया है तब से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर चारो ओर कॉटे ओर थौर की बाड भी बना रखी है। वादी संख्या 1 की दिनांक 03–06–2014 को आरएसी कम्पनी से सेवानिवृत होने के बाद अपने गाँव वल्लभ आया तथा अपनी खातेंदारी की उक्त कृषि भूमि पर गया तो वहाँ पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो गाँव खेडी के निवासी है व ग्राम पंचायत वली के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा प्रतिवादीगण की भूमि भी गाँव खेडी, पटवार हल्का वली में स्थित है। वल्लभ व खेडी की सीमा लगी होने से वादीगण की उक्त कृषि भूमि खेडी गाँव की सीमा पर स्थित है तथा प्रतिवादीगण की भूमि भी वादीगण के उक्त खातेदारी भूमि की सीमा से लगी होने से प्रतिवादी संख्या 1 नें इन्द्रा आवास योजना के तहत मकान स्वीकृति वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की आराजी संख्या 2008/156 पर बना दिया। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त मकान वादीगण के खातेदारी भूमि पर बनाने पर आपत्ति की तो प्रतिवादीगण ने कहा की उक्त मकान को हम हटा लेंगे। परन्त आज दिन तक नही हटाया व मौके पर झगडा करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण एवं उनके परिवार के लोगो ने वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर इन्द्राआवास का मकान बना दिया तथा अब वादी के साथ मारपीट करने व कब्जा खाली नही करने की धमकी दे रहे है तथा वादीगण के खातेदारी की पास स्थित बाकी कृषि भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण करना चाहते है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक हो गया है तथा अवैध रूप से बनाये गये मकान को हटवाया जाना (कब्जा खाली कराया जाना) आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 12–08–2004 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से इन्द्राआवास योजना के तहत बनाये गये मकान का कब्जा हटाने हेतु कहा तो वादीगण के साथ प्रतिवादीगण द्वारा गाली गलौच व झगडा करने पर उतारू हुए तथा उक्त मकान का कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया, जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से इन्द्रा आवास योजना का मकान बना दिया है, जिसे बेदखली करने 183 की डिकी पारित फरमाई जावे तथा कब्जा वादीगण को सिपुर्द कराया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी पारित फरमाई।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि एकमात्र प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी भी उक्त भूमि पर नहीं देखा। वादीगण ने आवन्टन कमेटी से सांठ–गांठ करके मिथ्या [illegible] प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का आवन्टन गुप्त रूप से करवा भी [illegible] या [illegible] तो वह प्रतिवादीगण के मुकाबले

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

अवैध एवं शून्य है। उक्त आवन्टन किये जाते समय प्रतिवादीगण को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई और न ही मौके की आधिपत्य की जांच ही की गई, यदि जांच की जाती तो इस प्रकार का आवन्टन कदापि नहीं किया जाता। वादग्रस्त भूमि पर एकमात्र प्रतिवादीगण का आधिपत्य पिछले पचास वर्षो से बिना किसी दखल के स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा है। भूमि पर पहले धन्नाजी मीणा का कब्जा था और उनके स्वर्गवास के बाद उनके दोनों पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3, प्रतिवादी संख्या–1 की धर्मपत्नी है। वादग्रस्त भूमि के चारों ओर कच्चे पत्थरों की कोट प्रतिवादीगण द्वारा ही बनाई गई है। उक्त कोट तीन फिट ऊची है। वादी संख्या–1 ने अपनी नौकरी का फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण के विधिक आधिपत्य की भूमि को गुप्त रूप से यदि आवन्टित करा भी लिया है तो उक्त आवन्टन आरम्भ से ही शून्य है। वादग्रस्त भूमि में ही प्रतिवादीगण का मकान स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण पिछले पैंतीस वर्षो से निवास कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण ने उपजाऊ बनाया है और काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कहना कतई गलत एवं मिथ्या है कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर इन्द्रा आवास का मकान बनाया हो, बल्कि उक्त भूमि पर पिछले पचास वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसकी जानकारी स्वयं प्रशासन को भी रही है, लेकिन वादी संख्या 1 के रसूखदार होने की वजह से गुप्त रूप से आवन्टन प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि पर किया गया है जो गलत है। वादीगण कभी भी उक्त भूमि पर नहीं आये, न उनका उक्त भूमि से कोई लेना–देना ही है। गलत तौर से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जाने से प्रतिवादीगण के हित एवं अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है, चूंकि आवन्टन की दिनांक से ही प्रतिवादीगण का कब्जा था और कभी वादीगण को आधिपत्य सिपुर्द ही नहीं किया तो कब्जे के अभाव में आवन्टन व खातेदारी आरम्भ से ही शून्य है। वादीगण गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से गलत तौर पर हटाना चाहते हैं जो कि असंवैधानिक है। दिनांक 12–08–2004 को वादीगण ने वाद कारण उत्पन्न होना अंकित किया है जबकि दावा 2014 में पेश किया है। वादीगण की नेकनियती उक्त भूमि को लेकर खराब हो गई और वह कुछ समय से प्रतिवादीगण को परेशान कर रहे हैं और दबाव बना रहे है कि तुम उक्त भूमि को खाली करके चले जाओ. अन्यथा हम तुम्हे जबरन इस भूमि से बेदखल कर देंगे और तुम्हारा मकान भी गिरा देंगे, जिससे तुम कहीं भी रहने लायक नहीं रहोंगे। वादीगण ने षडयन्त्रपूर्वक माननीय न्यायालय में कब्जेयाबी और स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को प्रतिदावे की में अंकित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रवेश नहीं करें, उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल नहीं करें, उक्त भूमि के पत्थरों की कच्ची कोट को नहीं गिरावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी द्वारा जवाबबुल जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में वादी द्वारा प्रस्तुत दावे से भिन्न तथ्यों आधारित जवाब दावा मय काउण्टर वाद प्रस्तुत किया गया है जो अस्वीकार है। प्रतिदावा की में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजी संख्या 2008/156 रकबा 1.2800 हेक्टेयर प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना अस्वीकार है बल्कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य में चली आ रही है, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की अनुपस्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजीयात के कुछ हिस्से पर अवैध अतिक्रमण करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में पिछले पचास् वर्षों से अधिक समय से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हो। प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि में जबरन बाद में कब्जा कर कुछ हिस्से पर बाडा व मकान का निर्माण कर लिया है जो अवैध रूप से किया गया है, जिनका उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण बाहर नौकरी होने से वादी की अनुपस्थिति में वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि की सीमा में दावा करने से कुछ समय पूर्व अवैध रूप से मकान बना लिया है, जिसे हटवाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी अशिक्षित गरीब आदिवासी लोग हैं तथा यह कथन भी गलत है कि उनके कब्जेशुदा भूमि को वादी को गुप–चुप रूप से आवंटन कर दी हो तथा यह कथन भी गलत है कि आवन्टन करने से पूर्व कब्जे की कोई जांच नहीं की हो, चूंकि प्रतिवादीगण अन्य ग्राम पंचायत के निवासी है जबकि वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात जो वल्लभ ग्राम पंचायत के तहत स्थित है जिसका विधिवत् रूप से वादी को आवन्टन किया गया व मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया. लेकिन प्रतिवादीगण पास की पंचायत के निवासी होने से वादी के उक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर अवैध रूप से मकान बना लिया है. जिसकी जानकारी होते ही वादी ने बेदखली का दावा आप न्यायालय में पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा वादी के आवन्टन को कभी चुनौति नहीं दी है तथा वादी खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर चुका है। अतः निवेदन है कि वादी का जवाबबुल जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का प्रतिदावे खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दावे एवं प्रतिदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी भूमि ग्राम वल्लभ की आ. न. 2008/156 पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से इन्द्रा आवास योजना का मकान बना दिया है जिससे प्रतिवादी को बेदखल करा कब्जा पुनः वादीगण को सिपूर्द कराया जावे
.....वादीगण

2. आया वादी ग्राम वल्लभ की वादग्रस्त आराजी संख्या 2008/ 156 क्षेत्रफल 1.2000 हेक्टर भूमि वादीगण एवं उसकी पत्नी को संयुक्त रूप से आंवटीत की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
......वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 50 वर्षो से कब्जा होकर वादीगण को आवंटन से कई वर्ष पूर्व (35 वर्ष पूर्व) प्रतिवादीगण ने अपना नीजी मकान आवास हेतु बनाया था जिसमें आज भी निवासरत है। वादीगण ने गुप्त रूप से आवंटन करा लिया है जो प्रतिवादीगण के विरूद्ध अवैध एवं शुन्य है

...... प्रतिवादी संख्या 1 से 3

4. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा धन्ना मीणा के समय से चला आ रहा है, आधिपत्य के अभाव में वादीगण को जो खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है वह आरम्भ से ही शुन्य है प्रतिवादीगण उक्त भूमि के विधिक खातेदार स्वतः ही हो चुके है

...... प्रतिवादी संख्या 1 से 3

5. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

....प्रतिवादी संख्या 1 से 3

6. आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण को आवंटन विधिवत रूप से किया गया है, प्रतिवादीगण ने वादी के आवंटन को कभी चुनौति नहीं दी है तथा वादी खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर चुका है। प्रतिवादी वादी की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत रखते है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे से बेदखल करा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

....वादीगण

प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कोर्ट कैम्प वल्लभ में पेश हुआ। उभयपक्ष उपस्थित हुए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी समझाईश से वादीगण के वाद निस्तारण कराने हेतु सहमति जाहिर की गई। सहमति व्यक्त करने से केम्प में पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट मगवाई जाकर वादी के ब्यान कलम्बद्ध किए गए। वादी द्वारा अपने ब्यानों में कथन किया गया कि वादग्रस्त जमीन मेरे नाम एलोट हुई वर्तमान में मेरे नाम दर्ज है। मेरी भूमि पर प्रतिवादीगण इन्द्रा आवास योजना के तहत् मकान बना दिया है। प्रतिवादी द्वारा मकान बना हुआ है उक्त भूमि को में देने के लिए सहमत, बाकि शेष भूमि का कब्जा दिलाया जावे व स्थगन आदेश से प्रतिवादी को पाबंद करें व उक्त शेष भूमि का कब्जा दियावे।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 10.06.2002 को वादी एवं [illegible] पत्नि को संयुक्त रूप से आवटन हुई तथा आवटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण खोला जाकर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

भी वादीगण को सुपुर्द किया गया। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर चारों आरे कोट व बाड़ भी बना रखी है। किन्तु प्रतिवादी की भूमि वादीगण के उक्त खातेदारी की भूमि की सीमा से लगी होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने इन्द्राज आवस योजना के तहत् मकान वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर बना दिया है। जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि से बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर पिछले कई वर्षो से काबिज है। वादीगण को उक्त भूमि के सम्बन्ध में जारी किया गया आवंटन अवैध है। उक्त आवंटन की सूचना ना कभी प्रतिवादीगण को दी गई ना ही कभी मौके की जॉच की गई। यदि मौके की जॉच की गई होती तो इस प्रकार का आवंटन नहीं होता। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कब्जे की भूमि पर ही मकान बनाया हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादावे में अकित आराजीयात का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उक्त पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी भूमि ग्राम वल्लभ की आ. न. 2008/156 पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से इन्द्रा आवास योजना का मकान बना दिया है जिससे प्रतिवादी को बेदखल करा कब्जा पुनः वादीगण को सिपूर्द कराया जावे

.....वादीगण

➢ तनकी संख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में कार्यालय उप जिलाधीश गिर्वा का प्रपत्र 5 पेश किया गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 156 रकबा 1.2600 हैक्टयर भूमि का आवंटन दिनांक 10.06.2002 को वादीगण के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटन के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में नामान्तरण संख्या 219 दिनांक 3.11.2003 को आराजी संख्या 2008/156 रकबा 1.2600 हैक्टयर भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 0.2900 हैक्टयर भूमि मे मकान व बाड़ा होकर प्रतिवादीगण सपरिवार निवास कर रहे है, तथा 0.0500 हैक्टयर कच्चा रास्ता है जो वर्तमान में वल्लभ से खेड़ी का वर्तमान में आवागमन में उपयोग आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का आवंटन वादीगण के पक्ष में हुआ है एवम् प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा प्रतिवादीगण का है, जिस पर उन्होने मकान का निर्माण करा रखा है। वादीगण वर्तमान में गैरखातेदार है, जिसको खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर आवसीय मकान बनाकर रह रहे है, जो पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवंटन से पूर्व से है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादी ग्राम वल्लभ की वादग्रस्त आराजी संख्या 2008 / 156 क्षेत्रफल 1.2000 हेक्टर भूमि वादीगण एवं उसकी पत्नी को संयुक्त रूप से आंवटीत की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

- तनकी संख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादीगण को कुल 1.2600 हैक्टयर भूमि आवंटित हुई। वादीगण वर्तमान में गैरखातेदार है। पटवारी रिपोर्ट के रिपोर्ट क आधार पर कुल 1.2600 हैक्टयर में से 0.2900 हैक्टयर पर मकान व बाड़े बने हुए है, जो वादीगण के आवंटन के पूर्व के है। चूंकि वादीगण तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल हुए है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण को आवंटित कुल भुमि 1.2600 हैक्टयर में से 0.2900 हैक्टयर भूमि जहां पर प्रतिवादीगण के आवासीय मकान व बाड़े है उसके अलावा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण को उक्त भूमि में जाने से रोके नहीं एवं उकसे कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। वादीगण द्वारा अपने वाद के अभिकथनों के समर्थना में प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात का आवंटन वादीगण के पक्ष में साबित कराया गया है, जिससे तनकी संख्या 2 आंशिक रूप सेभी वादीगण के पक्ष में साबित होती है कि जिस भूमि पर प्रतिवादीगण के आवासीय मकान है उसके अलावा शेष भूमि में प्रतिवादीगण, वादीगण को काश्त करने से परेशान नहीं करें इस आशय से पाबंद किया जाता है।

3. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का 50 वर्षो से कब्जा होकर वादीगण को आवंटन से कई वर्ष पूर्व (35 वर्ष पूर्व) प्रतिवादीगण ने अपना निजी मकान आवास हेतु बनाया था जिसमें आज भी निवासरत है। वादीगण ने गुप्त रूप से आवंटन करा लिया है जो प्रतिवादीगण के विरूद्ध अवैध एवं शुन्य है

...... प्रतिवादी संख्या 1 से 3

- तनकी संख्या 3 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कथन किया गया है कि कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त होकर चले आ रहे है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने तथ्य को साबित कराने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ना ही साक्ष्य या ग्वाह के माध्यम से अपने तथ्य को साबित कराया गया है। प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी अधिकार निरस्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

4. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा धन्ना मीणा के समय से चला आ रहा है, आधिपत्य के अभाव में वादीगण को जो खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है वह आरम्भ से ही शुन्य है प्रतिवादीगण उक्त भूमि के विधिक खातेदार स्वतः ही हो चुके है

...... प्रतिवादी संख्या 1 से 3

- तनकी संख्या 4 को साबिक कराने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावे के समर्थन में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा धन्ना मीणा के समय से चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सम्बन्ध में ना कोई साक्ष्य पेश की गई है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है, जिससे प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के अधिपत्य की है। माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न दृष्टांत नरेन्द्र कुमार बनाम हरकरन और अन्य, आर.आर.टी. 2022(1) 507 एवम् मूलचन्द बनाम गिरीराज व अन्य, आर.आर.टी. 2021 (1) सुको 628 जिसमें बताया गया है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। इस हेतु तनकी संख्या 3 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय होने से तनकी संख्या 4 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

5. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

....प्रतिवादी संख्या 1 से 3

- उक्त तनकी संख्या 5 को साबित कराने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजीयात का सम्बन्ध प्रतिवादीगण से हो। प्रतिवादीगण द्वारा मात्र जवाब दावे में कथन से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हो सकते है। प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष ठोस आधारों पर साबित नहीं कराया गया है। जिससे तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

6. आया वादग्रस्त भूमि का वादीगण को आवंटन विधिवत रूप से किया गया है, प्रतिवादीगण ने वादी के आवंटन को कभी चुनौति नहीं दी है तथा वादी खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर चुका है। प्रतिवादी वादी की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत रखते है जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे से बेदखल करा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

....वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

➢ तनकी संख्या 6 को साबित कराने हेतु वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में आवंटन आदेश पेश किया गया जिसके आधार पर नामान्तरण से गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। वादी वर्तमान में गैरखातेदार है। वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होगा। वादीगण द्वारा अपना पक्ष दस्तावेजों के माध्यम से साबित कराया गया है। अतः जिससे तनकी संख्या 6 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में साबित होती है कि जिस भूमि पर प्रतिवादीगण के आवासीय मकान है उसके अलावा शेष भूमि में प्रतिवादीगण, वादीगण को काश्त करने से परेशान नहीं करें इस आशय से पाबंद किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तनकीवार विवेचन अनुसार न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजीयात 156 रकबा 1.2600 हैक्टयर भूमि का आवंटन दिनांक 10.06.2002 को वादीगण के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटन के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में नामान्तरण संख्या 219 दिनांक 13.11.2003 को आराजी संख्या 2008 / 156 रकबा 1.2600 हैक्टयर भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हुई। वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात सक्षम प्राधिकारी से आवंटित हुई है तथा वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होगा। प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त आवंटन को अभी तक निरस्त नहीं करवाया गया है। वादीगण द्वारा अपना पक्ष दस्तावेजों के माध्यम से साबित कराया गया है, जिससे वादीगण के पक्ष में वाद का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः **वादीगण को सक्षम प्राधिकारी उपजिलाधीश गिर्वा द्वारा राजस्व ग्राम वल्लभ, पटवार हल्का वल्लभ, तह, कुराबड़ जिला उदयपुर आवंटित कुल भूमि 1.2600 हैक्टयर में से 0.2900 हैक्टयर भूमि पर जहां प्रतिवादीगण के आवासीय मकान व बाड़े है, उस भूमि को जहॉ उनके मकान व बाड़े है उनको छोड़कर शेष भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को काश्त एवम् प्रवेश करने से ना रोकें। तहसीलदार कुराबड़ उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।**

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 66 / 19 सन 2019 अनवान (1) श्री भैरूलाल पिता श्री कुरीलाल जी शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–वल्लभ, तह. गिर्वा जिला उदयपुर (2) श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री भैरूलाल शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–वल्लभ, तह. गिर्वा जिला उदयपुर बनाम (1) नारायण पिता श्री धन्नाजी मीणा, (2) काना पिता श्री धन्नाजी मीणा, (3) श्रीमती जमनाबाई पत्नी नारायण मीणा, सर्व निवासीयान–खेडी (ग्राम पंचायत वली) तह. गिर्वा जिला उदयपुर. वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री मोहनलाल शर्मा अधिवक्ता वादी व लोकेश गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण को सक्षम प्राधिकारी उपजिलाधीश गिर्वा द्वारा राजस्व ग्राम वल्लभ, पटवार हल्का वल्लभ, तह, कुराबड़ जिला उदयपुर आवंटित कुल भूमि 1.2600 हैक्टयर में से 0. 2900 हैक्टयर भूमि पर जहां प्रतिवादीगण के आवासीय मकान व बाड़े है, उस भूमि को जहॉ उनके मकान व बाड़े है उनको छोड़कर शेष भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को काश्त एवम् प्रवेश करने से ना रोकें। तहसीलदार कुराबड़ उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....माह ....सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.25 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested